Result Mitra Daily Magazine

"ऑल आइज़ ऑन राफा"

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में दक्षिणी गाजा के शहर राफा के बाहरी इलाकों में इजरायली गोलाबारी और हवाई हमलों
- के कारण कम से कम 37 लोगों की दुखद मौत हो गई।
- तत्पश्चात इस हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा और आलोचना हो रही है।
- इसी की निंदा और आलोचना के लिए सोशल मीडिया पर "ऑल आइज़ ऑन राफा" ट्रेंड कर रहा है।
- अत: यह #टैग लाइन हमलों से प्रभावित फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा अभियान है।

#AllEyesOnRafah अभियान क्या है?

- इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा "ऑल आइज़ ऑन राफा" अभियान

- यह वैश्विक जागरूकता और अपील है, जिसमें लोगों से राफा में चल रहे युद्ध से मुंह न मोड़ने का आग्रह किया गया है।

राफा शहर पर हमला

- 28 मई को इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा गोलाबारी और हवाई हमलों से राफा के पश्चिम में अल-मवासी में लगे तंबुओं को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई।
- इसमें लगभग 12 महिलाएं भी है।
- हमले के बाद हुई आलोचना के इज़रायली सेना ने इन हमलों का खंडन करते हुए कहा कि आईडीएफ (इज़रायली रक्षा बल) ने अल-मवासी में मानवीय क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया है।
- इस हमले के दो दिन पूर्व भी इसी शहर के पश्चिमी जिले में स्थित एक तम्बू शिविर में इजराइल हवाई हमले से लगी आग के कारण कम से कम 45 लोगों की जान चली गई थी।
- यह हमला राफा शहर के ठीक उत्तर में स्थित एक टेंट कैंप को निशाना बनाकर किया गया था , जो ताल अस-सुल्तान के नाम से जाना जाता है।
- मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने आवास शिविर पर सात 900 किलोग्राम (2,000 पाउंड) के बम और मिसाइलें गिराई, जिसके बाद यह भयावह घटना हुई।
- उल्लेखनीय है कि राफा में लड़ाई के कारण 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। और अब यही विस्थापित लोग शहर के बाहर इधर उधर तंबू लगाकर शिवरों में रह रहे है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये विस्थापित लोग वर्तमान में गंदे तंबू शिविरों और अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं, जहां उनके पास रहने के लिए आश्रय, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजें नहीं हैं।
- ऐसे में इन अमानवीय त्रस्तियों के बाद इजराइल द्वारा ऐसे हमले निंदा का कारण बने हुए है।
- उल्लेखनीय है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से गाजा में इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों के परिणामस्वरूप 36,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, हालांकि इन मौतों में लड़ाकू सैनिक और नागरिकों दोनों शामिल है।

विश्व की प्रतिक्रिया

- अल्जीरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्तावित प्रस्ताव पुन: प्रसारित किया है, जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग के साथ इजरायल को दक्षिणी शहर राफा में अविलंब सैन्य आक्रमण रोकने का आदेश देने की बात कही गई है।
- इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में
- सभी सीमा चौकियों को खोलने और गाजा के 2.3 मिलियन लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की बात की गई है, जिन्हें तत्काल भोजन और अन्य सहायता की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा की स्थिति को "मानवीय आपदा" कहते हुए अकाल जैसे खतरे की चेतावनी दी है।

Result Mitra

- वही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज (आईएफआरसी) ने भी युद्ध विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का आह्वान किया है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी अपने एक आदेशों में इजरायल को राफा में अपना आक्रमण रोकने और सहायता पहुंचाने के लिए मिस्र से सीमा खोलने का निर्देश दिया था।
- तत्कालीन इजराइल आक्रोश का कारण
- हाल ही में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी को एक राज्य के रूप में मान्यता दी थी।
- एकीकृत फिलिस्तीनी राज्य में गाजा पट्टी और पश्चिमी तट शामिल होंगे, जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन होगा, तथा पूर्वी येरुशलम इसकी राजधानी होगी।
- यह पहली बार है जब किसी पश्चिमी यूरोपीय देश ने ऐसी मान्यता के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
- तीनों देशों ने मान्यता देते हुए यूरोपीय संघ के अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए अनुरोध किया था।
- इस प्रकार अब संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 146 देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं।
- पहले यह संख्या 143 थी लेकिन 28 मई को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे का नाम जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 146 हो गई।
- उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों में कई मध्य पूर्वी, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, अधिकतर पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान या दक्षिण कोरिया उसे मान्यता देने के पक्ष में नहीं हैं। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बनने के प्रयास को रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल किया था।
- भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी।

राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त होने का क्या अर्थ है?

- राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर मोंटेवीडियो कन्वेंशन (1933) ने एक राज्य की चार शर्तों की पहचान की है : जिसमें शामिल है वे

1 एक स्थायी आबादी,

2 परिभाषित क्षेत्र

3 सरकार और

4 अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता"।

- कैम्ब्रिज कम्पेनियन टू इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, राज्य का दर्जा , "लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में केंद्रीय आयोजन विचार रहा है"। जबकि कई क्षेत्रों और लोगों ने वर्षों से खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की है, उनकी औपचारिक मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी दुनिया उन्हें कैसे देखती है।

संयुक्त राष्ट्र में राज्यों को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए व्यापक मानदंड हैं

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 में कहा गया है: "संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उन सभी अन्य शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और संगठन के निर्णय के अनुसार, इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम और इच्छुक हैं।"

Result Mitra

- यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस - और 10 अस्थायी सदस्य देश जिन्हें रोटेशन के आधार पर चुना जाता है। यूएनएससी की सिफारिश को पारित करने के लिए मतदान होना चाहिए, जिसमें कम से कम नौ सदस्य इसके पक्ष में हों और कोई भी स्थायी सदस्य अपने वीटो का इस्तेमाल न करे। अनिवार्य रूप से, यह पी5 ही हैं जो यूएनएससी में किसी मुद्दे का भाग्य निर्धारित करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थिति क्या है?
- वर्तमान में, फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक "स्थायी पर्यवेक्षक राज्य" है - और "सदस्य राज्य" नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में एक और स्थायी पर्यवेक्षक राज्य है - होली सी, जो वेटिकन सिटी का प्रतिनिधित्व करता है।

- एक स्थायी पर्यवेक्षक राज्य के रूप में, फिलिस्तीन को "सुरक्षा परिषद से लेकर महासभा और इसकी छह मुख्य समितियों तक, इसके मुख्य अंगों और निकायों में मसौदा प्रस्तावों और निर्णयों पर मतदान को छोड़कर, संगठन की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति है"।

- फिलिस्तीन को 2012 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होने के बाद "गैर-सदस्य स्थायी पर्यवेक्षक राज्य" का दर्जा प्राप्त हुआ।
- हाल ही में इस साल अप्रैल में फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में एक राज्य के रूप में सदस्यता हासिल करने का प्रयास किया था।
- हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इजरायल के सबसे कट्टर सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके प्रवेश पर वीटो लगा दिया था।

इजराइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के मुख्य कारण

- क्षेत्रीय विवाद: संघर्ष का प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन, विशेष रूप से पूर्वी येरुशलम, वेस्ट बैंक और गाजा में क्षेत्र पर असहमति है। चूंकि इन क्षेत्रों पर इजराइल और हमास दोनों दावा करते हैं, इसलिए लगातार तनाव और संघर्ष रहता है।
- गाजा नाकाबंदी: वर्ष 2007 में हमास द्वारा इस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद से इज़राइल ने गाजा पट्टी पर घेराबंदी कर रखी है। नाकाबंदी ने लोगों और सामानों के लिए गाजा में प्रवेश करना बेहद मुश्किल बना दिया है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- सुरक्षा मुद्दे और रॉकेट हमले: गाजा पट्टी का सत्तारूढ़ संगठन, हमास, नियमित रूप से इजराइली क्षेत्र में रॉकेट हमले करता रहता है। इज़राइल इन हमलों का सैन्य रूप से जवाब देता है क्योंकि वह इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।
- यरूशलम और पवित्र स्थल: यरूशलम में धार्मिक स्थलों, खास तौर पर अल-अक्सा मस्जिद तक पहुंच और नियंत्रण को लेकर विवादों के कारण कई बार तनाव और हिंसा हुई है।
- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: हमास और फतह, दो मुख्य फिलिस्तीनी राजनीतिक गुटों में, वर्षों से संघर्ष हैं। इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने गाजा और पश्चिमी तट के बीच विभाजन में योगदान दिया है, जिसमें हमास गाजा को नियंत्रित करता है और फतह के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी पश्चिमी तट पर शासन करती है।

Result Mitra

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान

- एकल-राज्य समाधान: इस प्रस्ताव का लक्ष्य एक एकीकृत राज्य बनाना है जिसमें जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र के भीतर इज़राइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी शामिल है।
- द्वैत-राज्य समाधान: इस प्रस्ताव का उद्देश्य दो अलग और स्वतंत्र राज्यों - इज़राइल और फिलिस्तीन - को एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से सह-अस्तित्व में रखने का है।
- सीमा संशोधन: चर्चाओं में भूमि विनिमय के माध्यम से दोनों राज्यों की सटीक सीमाओं को निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे इज़राइल को फिलिस्तीनियों को समकक्ष भूमि प्रदान करने के बदले में कुछ निपटान क्षेत्रों को रखने में सक्षम बनाया जा सके।

Result Mitra